रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1107] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2004/पौष 7, 1926

No. 1107] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2004/PAUSA 7, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1418(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 बनाए थे ;

और केन्द्रीय सरकार ने पेटेंट अधिनियम, 1970 का संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

और उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 में अंतर्विष्ट संशोधनो के आधार पर पेटेंट नियम, 2003 को संशोधित किया जाए ;

और पेटेट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 द्वारा यथासंशोधित पेटेट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उपधारा (3) का परन्तुक केन्द्रीय सरकार को धारा 159 की उपधारा (3) के अधीन यथाअपेक्षित नियमों के पूर्व प्रकाशन की अपेक्षाओं से अभिमुक्त होने के लिए सशक्त बनाता है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अनुपालन को व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं है ;

और केन्द्रीय सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि पूर्व प्रकाशन की अपेक्षाओं से अभिमुक्त होने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित सशोधन नियम बनाए जाए ;

अत अब, केन्द्रीय सरकार, पेटेट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, पेटेट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्, :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम पेटेट (सशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त होगे ।

2. पेटेंट नियम, 2003 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (i) और खंड (ii) में "24क", "24 ख" और "24 ग" अंकों, अक्षरों और शब्द का जो दोनों स्थानों पर आते है, लोप किया जाएगा ।

3. मूल नियमों के नियम 5 में "अधिनियम या इन नियमों के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित कोई सूचना भेजे ।" शब्दों के पश्चात् "और नियंत्रक स्वप्रेरणा से इस विषय में विनिश्चय करेगा" शब्द जोड़े जाएंगे ।

4. मूल नियमों के नियम 6 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) अधिनियम या इन नियमों के अधीन पेटेंट कार्यालय में या नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के पास फाइल किए जाने, छोड़े जाने या ऐसे दिए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज वाहक द्वारा दिया जा सकेगा या डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा द्वारा समुचित कार्यालय में नियंत्रक को या उस व्यक्ति को संबोधित पत्र द्वारा या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा भेजा जा सकेगा । यदि वह डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा भेजी जाती है तो, उसे उस समय फाइल किया गया, छोड़ा गया या दिया गया समझ जाएगा जिस समय वह डाक जिसमें वह आवेदन, सूचना या दस्तावेज है, यथास्थिति, डाक या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कोरियर सेवा या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक पारेषण के मामूली अनुक्रम में परिदत्त कर दिया गया होता । ऐसे भेजने को साबित करने के लिए इतना दर्शित करना पर्याप्त होगा कि उचित पता लिखकर पत्र डाक में डाल दिया और पारेषित कर दिया गया था :

परन्तु फैक्स द्वारा या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा भेजे गए किसी आवेदन, सूचना या दस्तावेज को भी फाइल किया गया, छोड़ा गया या दिया गया समझा जाएगा, यदि वह स्पष्ट और पूर्ण रूप से सुपाठ्य है और उसकी यथास्थिति, मूल प्रति या पेपर प्रति ऐसे फैक्स या सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर समुचित कार्यालय मे प्रस्तुत कर दी गई हो ।"

5. मूल नियमो के नियम 7 में उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) किसी कार्यवाही की बाबत एक बार संदत्त फीस, चाहे कार्यवाही की गई है अथवा नहीं, सामान्यतया वापस नही की जाएगी । "

6. मूल नियमों के नियम 12 में,-

(क) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) वह अवधि, जिसके भीतर आवेदक धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करेगा, आवेदन फाइल करने की तारीख से तीन मास की अवधि होगी ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, किसी अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप आवेदन की दशा में, जिसमे भारत अभिहित है, तीन मास की अवधि की गणना उस वास्तविक तारीख से की जाएगी, जिसको अनुरूप आवेदन भारत में फाइल किया जाता है ।"

(ख) उपनियम (3) और उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) जब नियंत्रक द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अपेक्षा की जाए, आवेदक आविष्कार की नूतनता और पेटेंटता की बाबत किन्हीं आक्षेपों, यदि कोई हों, की जानकारी और ऐसी अन्य विशिष्टियां जिनकी नियंत्रक अपेक्षा करे, जिनके अंतर्गत आवेदन के ऐसे दावे भी हैं जो नियंत्रक द्वारा संसूचित किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर अनुज्ञात किए गए हैं, प्रस्तुत करेगा । "

7. मूल नियमों के नियम 13 में,-

(क) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6) ऐसे आवेदन (कनवेंशन आवेदन या भारत को अभिहित करने वाली पेटेंट सहकारिता संधि के अधीन फाइल किए गए आवेदन से भिन्न) की दशा में, के सिवाय, जिसके साथ संपूर्ण विनिर्देश हों, आविष्कारक के अविष्कार कार्य की घोषणा संपूर्ण विनिर्देश के साथ प्ररूप 5 में या संपूर्ण विनिर्देश दाखिल किए जाने की तारीख से एक मास समाप्त होने से पूर्व किसी समय, जैसा कि नियंत्रक प्ररूप 4 में किए गए आवेदन पर अनुज्ञात करे, दाखिल की जाएगी ।"

(ख) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) वह अवधि जिसके भीतर निक्षेप के प्रति निर्देश धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (क) के अधीन विनिर्देश में किया जाएगा, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास होगी ।"

8. मूल नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

14. विनिर्देशों में संशोधन - (1) आवेदक या उसके अभिकर्ता को जब कोई अनंतिम या संपूर्ण विनिर्देश या उसके साथ का कोई रेखाचित्र संशोधन के लिए प्राप्त हो और उस पर सम्यक् रूप से संशोधन कर दिया गया हो, ऐसे संशोधन को समाविष्ट करने वाला पृष्ठ पुनः टाइप किया जाएगा और निरंतर दस्तावेज बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज में संशोधन स्लिप चिपकाकर या पाद टिप्पण लिखकर या हाशिए में लिखकर नहीं किए जाएंगे ।

(2) संशोधित दस्तावेज, आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से चिह्नित, रद्द किए गए और आद्याक्षरित अधिक्रांत किए गए पृष्ठों या रेखाचित्रों, यदि कोई हों, के साथ नियंत्रक को लौटा दिए जाएंगे । ऐसे किन्हीं पृष्ठों की, जिन्हें पुनः टंकित या जोड़ा गया है और ऐसे किसी रेखाचित्र की, जिसे जोड़ा या सारवान रूप में संशोधित किया गया है, दो प्रतियां भेजी जाएंगी ।

9. मूल नियमों के नियम 19 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन समुचित कार्यालय में अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में फाइल किया जा सकेगा ।"

10. मूल नियमों के नियम 20 में,-

(क) उपनियम (1) में "प्ररूप 1क" शब्द, अक्षर और अंक के स्थान पर "प्ररूप 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) में, "उपनियम (4)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपनियम (4)(i)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

(ग) उपनियम (3) के खंड (ख) में, "आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से यह सत्यापित किया गया आवेदन" शब्दों के स्थान पर "आवेदक द्वारा या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यह सत्यापित किया गया आवेदन" शब्द रखे जाएंगे ।

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4)(i) उपनियम (2) में निर्दिष्ट समयावधि अनुच्छेद 2(xi) मे यथानिर्दिष्ट पूर्विकता की तारीख से इकत्तीस महीने होगी ;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट कार्यालय प्ररूप 18 मे स्पष्ट रूप से फाइल किए अनुरोध पर, जिसके साथ पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस लगी होगी, इकत्तीस मास से पूर्व किसी भी समय आवेदन पर कार्यवाही या उसकी परीक्षा कर सकेगा ।"

11 मूल नियमों के नियम 21 के उपनियम (2) मे "सम्यक् रूप से सत्यापित" शब्दो के पश्चात् "या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यह सत्यापित" शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल नियमों के नियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"24. **आवेदन का प्रकाशन**-- वह अवधि, जिसके लिए पेटेंट के लिए आवेदन सामान्यतया धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन जनता के लिए नहीं खोला जाएगा, आवेदन फाइल करने की तारीख से अट्ठारह मास या आवेदन की पूर्विकता की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

24क. प्रकाशन के लिए अनुरोध - धारा 11क की उपधारा (2) के अधीन प्रकाशन के लिए कोई अनुरोध प्ररूप 9 मे किया जाएगा ।"

24ख. आवेदन की परीक्षा - (1)(i) आवेदन के प्रकाशन के पश्चात् धारा 11ख के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध आवेदन की पूर्विकता की तारीख किन्तु छत्तीस मास के भीतर या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, प्ररूप 18 मे किया जाएगा ।

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर धारा 11ख की उपधारा (3) के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध किया जाना है, पूर्विकता की तारीख से छत्तीस मास या आवेदन फाइल करने की तारीख से या 1 जनवरी, 2005 से बारह मास होगी ।

(iii) धारा 11ख के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध, आवेदन के प्रकाशन के पश्चात् किया जाएगा किन्तु पूर्विकता की तारीख से छत्तीस मास के भीतर या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से, या गुप्तता निदेश के विखंडन की तारीख से छह मास के भीतर, जो भी बाद मे हो, में किया जाएगा ।

(iv) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन, 'स्पष्टीकरण' के अनुसार फाइल किए गए आवेदन की परीक्षा के लिए अनुरोध प्रथम वर्णित आवेदन के एकाशन के पश्चात् किन्तु आवेदन फाइल करने की तारीख से छत्तीस मास के भीतर या प्रथम वर्णित आवेदन की पूर्विकता की तारीख से या और आवेदन फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जाएगा ।

(v) 1 जनवरी, 2005 के पूर्व फाइल किए गए आवेदन का धारा 118ख के अधीन परीक्षण के लिए अनुरोध करने की अवधि वह अवधि होगी जो धारा 11ख के अधीन विनिर्दिष्ट है या इन नियमो मे विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी बाद में समाप्त हो, होगी ।

(2) (i) उपधारा (1) के अधीन पेटेंट की परीक्षा के लिए फाइल किए गए आवेदन के अनुरोध पर उस क्रम में कार्रवाई की जाएगी जिसमें वह अनुरोध फाइल किया गया है ।

(ii) वह अवधि जिसके भीतर परीक्षक धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट देगा, सामान्यता 1 मास होगी किन्तु नियत्रक द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास से अधिक नही ।

(3) आवेदन के साथ प्रथम परीक्षा रिपोर्ट और विनिर्देश आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को भेजे जाएगे । उस दशा मे जहा अन्य हितबद्ध व्यक्ति परीक्षा के लिए अनुरोध फाइल करता है, ऐसी परीक्षा की परिसीमा ऐसे हितबद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(4) (i) धारा 21 के अधीन आदेश के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय उस तारीख से जिसको आवेदक को अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए आक्षेपो का प्रथम कथन जारी किया गया था, छह मास होगी ।

(ii) इन नियमो मे अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खड (i) मे विनिर्दिष्ट अवधि को नियत्रक द्वारा तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए आवेदक के नियत्रण से परे परिस्थितियो मे आवेदक द्वारा प्ररूप 4 मे खड (i) मे विनिर्दिष्ट समय के अवसान से पूर्व पहली अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करने पर बढाया जा सकेगा ।

(iii) किसी ऐसे आवेदन को जिसकी परीक्षा 1 जनवरी, 2005 से पूर्व की जा चुकी है, आदेश के लिए प्रस्तुत करने के लिए अवधि, उस तारीख से जिसको आवेदक को अपेक्षाओ का अनुपालन करने के लिए आक्षेपो का प्रथम कथन जारी किया गया था, बारह मास होगी ।

13 मूल नियमो के नियम 26 मे, उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

14 मूल नियमो के नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"27. प्रकाशित दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रदाय - धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् पूर्ण विनिर्देश और अनतिम विनिर्देश, यदि कोई हो, के साथ आवेदन, रेखाचित्र, यदि कोई हो, और आवेदन की बाबत फाइल किया गया सार नियत्रक को लिखित मे अनुरोध करके और इस निमित्त फीस के सदाय पर समुचित कार्यालय मे निरीक्षण किया जा सकेगा और प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस सदाय करने पर उसकी प्रतिया अभिप्राप्त की जा सकेगी ।" ।

15 मूल नियमो के नियम 28 मे,—

(क) उपनियम (2) के पहले परतुक मे "विनिर्दिष्ट" शब्द के स्थान पर "निर्दिष्ट" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (5) मे "विनिर्देश को स्वीकार करने" शब्दो के स्थान पर "पेटेट को मजूर करने" शब्द रखे जाएगे ।

16 मूल नियमो के नियम 28 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अत स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"28क.धारा 14 के अधीन परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के संबंध मे प्रक्रिया- यदि आवेदक को ससूचित आपत्तियो मे से वह किसी आपत्ति का प्रतिवाद करता है तो नियम 28 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया लागू हो सकेगी ।" ।

17. मूल नियमों के नियम 29 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) यदि आवेदक का विनिर्देश अन्यथा स्वीकार किए जाने के लिए ठीक है और धारा 13 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आपत्ति शेष रह गई है तो नियंत्रक पेटेंट की मंजूरी को मुल्तवी कर सकेगा और आपत्तिं दूर करने के लिए दो मास की अवधि अनुज्ञात कर सकेगा ।" ।

18. मूल नियमों के नियम 32 में, "या धारा 25" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

19. मूल नियमों के नियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**37. पेटेंट की मंजूरी हो जाने पर आवेदनों का संख्यांकन-** पेटेंट के मंजूर हो जाने पर आवेदन की एक क्रम संख्या (जो संख्या कहलाएगी) दी जाएगी, जो उन संख्यांकों की आवली में होगी जो भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) के अधीन पेटेंटों पर दी गई है और जो इस प्रकार मंजूर किए गए पेटेंट का संख्यांक होगा ।" ।

20. मूल नियमों के नियम 38 का लोप किया जाएगा ।

21. मूल नियमों (नियम 39 से नियम 54) के अध्याय 5 का लोप किया जाएगा ।

22. मूल नियमों के अध्याय 6 में " पेटेंट देने का विरोध" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"विरोध की कार्यवाहियां"

23. मूल नियमों के नियम 55 से नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

" **55. पेटेंट देने के विरुद्ध अभ्यावेदन द्वारा विरोध**--(1) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन विरोध के लिए अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 11क के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर या पेटेंट की मंजूरी के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो और इसके अंतर्गत अभ्यावेदन के समर्थन में कोई कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध भी है, यदि ऐसी वांछा की जाती है, समुचित कार्यालय में फाइल किया जाएगा ;

(2) नियंत्रक ऐसे अभ्यावेदन पर केवल तब विचार करेगा जब आवेदन की परीक्षा के लिए कोई आवेदन फाइल किया गया हो ।

(3) अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि नियंत्रक की यह राय है कि पेटेंट के लिए आवेदन मंजूर करने से इंकार कर दिया जाएगा या पूर्ण विनिर्देश के लिए संशोधन अपेक्षित है, वह उस प्रभाव की आवेदक को सूचना देगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त करने पर आवेदक यदि वह ऐसी वांछा करता है तो सूचना की तारीख से एक मास के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में अपना कथन और साक्ष्य यदि कोई हो, फाइल करेगा ।

(5) आवेदक द्वारा फाइल किए गए कथन और साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् नियंत्रक या तो आवेदन पर किसी पेटेंट को मंजूर करने से इंकार कर सकेगा या पेटेंट मंजूर किए जाने से पूर्व अपने समाधानप्रद रूप में पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और सुनवाई के दौरान किए गए निवेदन, यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है, नियंत्रक एक साथ या तो अभ्यावेदन को नामंजूर करते हुए और पेटेंट को मंजूर करते हुए या अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए और उस आवेदन पर पेटेंट को मंजूर करने से इंकार करते हुए उपरोक्त कार्यवाहियों के समापन से सामान्यतः एक मास के भीतर आगे कार्यवाही करेगा ।

55क. **विरोध की सूचना का फाइल किया जाना**-- धारा 25 की उपधारा (3)के अधीन दिए जाने वाले विरोध की सूचना प्ररूप 7 में दी जाएगी और समुचित कार्यालय में दो प्रतियों में नियंत्रक को भेजी जाएगी ।" ।

56. **विरोध बोर्ड का गठन और उसकी कार्यवाहियां**- (1) विरोध की सूचना की प्राप्ति पर नियंत्रक आदेश द्वारा एक विरोध बोर्ड का गठन करेगा जो तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा और बोर्ड के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा ।

(2) धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त परीक्षक विरोध बोर्ड का सदस्य होने के लिए पात्र होगा।

(3) परीक्षक, जिसने पेटेंट की मंजूरी के लिए कार्यवाहियों के दौरान पेटेंट के लिए आवेदन पर कार्यवाही की है, उस आवेदन के लिए उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट विरोध बोर्ड के सदस्य के रूप में पात्र नहीं होगा ।

(4) विरोध बोर्ड धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन निर्दिष्ट नियम 57 से नियम 60 के अधीन फाइल किए गए दस्तावेजों के साथ विरोध की सूचना की परीक्षा करके उस तारीख से जिसको उनको दस्तावेज अग्रेषित किए गए थे तीन मास के भीतर इसकी संयुक्त सिफारिश के साथ विरोध की सूचना में लिए गए प्रत्येक आधार पर कारणों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

57.विरोध और साक्ष्य का लिखित कथन फाइल करना :- विरोधी एक लिखित कथन जिसमें विरोधी के हित की प्रकृति, वे तथ्य जिनको वह अपने मामले के अधीन बनाता है तथा वह अनुतोष जो वह चाहता है तथा अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य, यदि कोई हों, विरोध की सूचना सहित, और आवेदक को कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, की एक प्रति परिदत्त करेगा ।" ।

24. मूल नियमों के नियम 58 में,--

(क) उपनियम (1) में, " आवेदक" शब्द के स्थान पर "पेटेंटी" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) यदि पेटेंटी विरोध करने की वांछा नहीं करता है और उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना उत्तर और साक्ष्य परिदत्त नहीं करना चाहता है तो पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा ।" ।

25. मूल नियमो के नियम 59 में "आवेदक के" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां भी वे आते हैं और " आवेदक" शब्द के स्थान पर क्रमशः "पेटेटी के" और " पेटेंटी" शब्द रखे जाएंगे ।

26. मूल नियमों के नियम 62 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) साक्ष्य का, यदि कोई हो, प्रस्तुतिकरण पूरा होने पर और विरोध बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर या ऐसे अन्य समय पर जो नियंत्रक ठीक समझे, वह विरोधी पक्ष की सुनवाई के किए तारीख और समय नियत करेगा और ऐसी सुनवाई की पक्षकारों को दस दिन से अन्यून की सूचना देगा और विरोध बोर्ड के सदस्यों की सुनवाई में उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।" ।

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) सुने जाने की इच्छा करने वाले पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अथवा किसी पक्षकार के सुनवाई न चाहने पर सुनवाई के बिना ही और विरोध बोर्ड की सिफारिश को विचार में लेने के पश्चात् नियंत्रक विरोध का विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की उसके कारणों सहित पक्षकारों को अधिसूचित करेगा ।" ।

27 मूल नियमों के नियम 63 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"63 खर्चों का अवधारण-- यदि पेटेंटी नियंत्रक को अधिसूचित करता है कि वह विरोध की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् पेटेंट को वापस लेना चाहता है तो नियंत्रक मामले के गुणावगुण को आधार मानते हुए यह विनिश्चित कर सकेगा कि विरोधी को खर्चा दिलवाया जाए या नहीं ।" ।

28. मूल नियमों के नियम 63 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**63क. धारा 26(1) के अधीन किया गया अनुरोध :-** धारा 26(1) के अधीन अनुरोध नियंत्रक के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप 12 में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे तथ्य उपवर्णित करने वाला कथन जिसपर अर्जीदार निर्भर करता है और अनुतोष जिसका वह दावा करता है, लगा होगा ।" ।

29. मूल नियमों के नियम 64 और नियम 65 का लोप किया जाएगा ।

30. मूल नियमों के नियम 69 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**69. धारा 28 के अधीन दावे या किसी आवेदन की सुनवाई के लिए प्रक्रिया**-विरोध की सूचना, लिखित कथन, उत्तर कथन के दाखिल करने से, साक्ष्य के छोड़ने से, सुनवाई तथा खर्चे से संबंधित नियम 55क और नियम 57 से नियम 63 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया धारा 28 के अधीन किसी दावे या आवेदन की सुनवाई को, इस उपांतरण के अध्यधीन कि पेटेंटी के प्रति निर्देश का अर्थ, यथास्थिति दावा या कोई आवेदन करने वाले व्यक्ति के प्रति लगाया जाएगा यावत्साध्य इस प्रकार लागू होगी जैसे कि विरोध की कार्यवाहियों में लागू होती है ।" ।

31. मूल नियमों के नियम 71 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**71. धारा 39 के अधीन भारत के बाहर पेटेंट का आवेदन करने के लिए अनुमति :-** (1) भारत के बाहर पेटेंट का आवेदन करने की अनुमति के लिए अनुरोध प्ररूप 25 में किया जाएगा

(2) उपनियम (1) के अधीन किए गए अनुरोध का निपटान नियंत्रक द्वारा सामान्यतः ऐसे अनुरोध को फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।" ।

32. अध्याय 8 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

" पेटेंट अनुदत्त करना "

33. मूल नियमों के नियम 73 का लोप किया जाएगा ।

34. मूल नियमों के नियम 74 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**74क. पेटेंट की मंजूरी से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण** -किसी पेटेंट की मंज़ूरी के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आवेदक पूर्ण विनिर्देश और अनंतिम विनिर्देश, यदि कोई हो, के साथ आवेदन, रेखाचित्र, यदि कोई हो, और उससे संबंधित सार और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण नियंत्रक को लिखित आवेदन करके समुचित कार्यालय में कर सकेगा और फीस के संदाय के पश्चात् कर सकेगा और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रतियां प्राप्त कर सकेगा ।" ।

35. मूल नियमों के नियम 78 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**78 . धारा 51 के अधीन कार्यवाहियों की सुनवाई करने के लिए प्रक्रिया** - लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने, सुनवाई और खर्चे के संबंध में नियम 55क और नियम 57 से नियम 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया धारा 51 के अधीन आवेदन की सुनवाई को यावत्शक्य उसी प्रकार लागू होगी जैसे विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।" ।

36. मूल नियमों के नियम 79 में " न्यायालय" शब्द के पूर्व जहां-जहां वह आता है "अपील बोर्ड या " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

37. मूल नियमों के नियम 80 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) उपनियम (1) में इस प्रकार विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस के संदाय के लिए अवधि, उस समय ऐसी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी जो छह मास से अधिक नही होगी, यदि ऐसे समय के बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप 4 मे किया जाता है । " ।

38. मूल नियमों के नियम 81 में,-

(क) उपनियम (2) में "मंजूर" शब्द के स्थान पर "अनुदत्त" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3(क). यदि उपनियम (1) के अधीन संशोधन के लिए आवेदन पेटेंट की मंजूरी के पश्चात् किया जाता है और और प्रस्तावित संशोधन की प्रकृति सारवान है तो आवेदन प्रकाशित कर दिया जाएगा।"।

(ख) संशोधन के लिए आवेदन के विरोध में हितबद्ध कोई व्यक्ति आवेदन के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर विरोध की सूचना प्ररूप 14 में देगा ।

(ग) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ना, सुनवाई और खर्चे के संबंध में नियम 57 से 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया धारा 57 के अधीन विरोध की सुनवाई को, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होगी, जैसे विरोध की प्रक्रिया की सुनवाई को लागू होती है ।"

39. मूल नियम के नियम 83 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**83. अनुज्ञात संशोधन का प्रकाशन**- किसी पेटेट को स्वीकार करने के पश्चात् अनुज्ञात संशोधन को प्रकाशित किया जाएगा ।"

40. मूल नियम 84 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) जहां आवेदक अनुज्ञात समय के भीतर सुनवाई के लिए अनुरोध करता है और यदि आवेदक को उस प्रकार सुने जाने के पश्चात् नियंत्रक का प्रथम दृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि नवीकरण फीस का संदाय न करना अनाशयित था, वहां वह आवेदन को प्रकाशित करेगा ।"

41. मूल नियम के नियम 85 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" **85. धारा 61 के अधीन प्रत्यावर्तन का विरोध-** (1) नियम 84 की उपनियम (3) के अधीन आवेदन के प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर किसी भी समय कोई हितबद्ध व्यक्ति उसके विरोध की सूचना प्ररूप 14 में दे सकेगा ।

(2) विरोध की सूचना की एक प्रति नियंत्रक द्वारा आवेदक को भेजी जाएगी ।

(3) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने, सुनवाई और खर्चे के संबंध में नियम 57 से 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 60 के अधीन विरोध की सुनवाई को, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होगी, जैसे विरोधी पक्षकार की सुनवाई को लागू होती है ।"

42. मूल नियम के नियम 86 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (2) नियंत्रक अपने विनिश्चय को प्रकाशित करेगा ।"

43. मूल नियम के नियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" **87. पेटेंटों का अभ्यर्पण**-(1) नियंत्रक धारा 63 के अधीन प्रस्थापना की सूचना प्रकाशित करेगा ।

(2) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर नियंत्रक को उसके विरोध की सूचना प्ररूप 14 मे दो प्रतियों में देगा ।

(3) लिखित कथन, उत्तर कथन, साक्ष्य छोड़ने, सुनवाई और खर्चे के संबंध में नियम 57 के 63 तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, धारा 63 के अधीन विरोधी पक्षकार को सुनवाई को, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होगी, जैसे विरोध की प्रक्रिया की सुनवाई को लागू होती है ।"

(4) यदि नियंत्रक पेटेंटधारी की अभ्यर्पण की प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है तो वह पेटेंटेधारी को पेटेंट लौटाने का निदेश दे सकेगा और उस पेटेंट को प्राप्त करने पर नियंत्रक आदेश द्वारा उसे प्रतिसंहृत करेगा और पेटेंट के प्रतिसंहरण को प्रकाशित करेगा ।"

44. मूल नियम के नियम 88 के उपनियम (2) मे, " नियंत्रक या न्यायालयों" शब्दो के स्थान पर "नियंत्रक, अपील बोर्ड या न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

45. मूल नियम के नियम 89 का लोप किया जाएगा ।

46. मूल नियम के नियम 90 में, " प्ररूप 17" शब्दों और अंकों दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर " प्ररूप 16" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

47. मूल नियम के नियम 96 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" **96. अनिवार्य अनुज्ञप्ति आदि के लिए आवेदन-** धारा 84, धारा 85, धारा 91 या धारा 92 या धारा 92क के अधीन किसी आदेश के लिए नियंत्रक को किया जाने वाला आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप 17 या प्ररूप 19 मे किया जाएगा । उस दशा को छोड़कर जिसमें आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो, आवेदन में आवेदक के हित की प्रकृति और अनुज्ञप्ति के उन उपबंधों और शर्तो का जो आवेदक को स्वीकार्य हो, देगा ।"

48. मूल नियम कि नियम 98 में,-

(क) उपनियम (1) में " विज्ञापन" शब्द के स्थान पर " प्रकाशन" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (6) में, "वे पेटेंट अनुदत्त् करने के विरोधी पक्षकार की" शब्दों के स्थान पर " विरोध की प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

49. मूल नियम के नियम 99 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**99. प्रतिसंहरण आदेश के प्रकाशन की रीति-** नियंत्रक, उसके द्वारा धारा 85 की उपधारा (3)के अधीन पेटेंट का प्रतिसंहरण करने वाले आदेश को प्रकाशित करेगा ।"

50 मूल नियम के नियम 100 मे, " प्ररूप 21" शब्द और अंक के स्थान पर " प्ररूप 20" शब्द और अंक रखे जाएगे ।

51. मूल नियम के नियम 101 मे, उपनियम (7) में " वह पेटेंट अनुदत्त् करने के विरोधी पक्षकार" शब्दो के स्थान पर " विरोध की प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

52. मूल नियम के नियम 102,-

(क) उपनियम (1) में, "प्ररूप 22" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 21" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) उपनियम (6) मे," वह पेटेंट अनुदत्त् करने के विरोधी पक्षकार" शब्दों के स्थान पर " विरोध की प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

53. मूल नियम के नियम 103 के उपनियम (1) में, " नाम और पते" शब्दों के स्थान पर "नाम, पते और नमूने, हस्ताक्षर और फोटो" शब्द रखे जाएंगे ।

54. मूल नियम के नियम 108 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) (i) प्रत्येक शाखा कार्यालय में पेटेंट अभिकर्ताओं के रजिस्टर की प्रतियां अनुरक्षित की जाएंगी ;

(ii) पेटेंट अभिकर्ताओं को के रजिस्टर में पेटेंट अभिकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियो के नमूना हस्ताक्षर और फोटो भी अन्तर्विष्ट किए जाएंगे ।"

55. मूल नियम के नियम 109 के उपनियम (1) में, " प्ररूप 23" शब्द और अंक के स्थान पर " प्ररूप 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

56. मूल नियम के नियम 110 के उपनियम(3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा गया, अर्थात् :-

" (3)प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र और मौखिक परीक्षा के लिए अर्हक अंक कुल अंकों का प्रत्येक में पचास प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी परीक्षा में केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वह कुल अंकों का औसत साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करे ।"

57. मूल नियम 111 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**111क- पेटेंट अभिकर्ताओं को अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करना**- नियंत्रक, व्यक्ति द्वारा जो पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, द्वारा आवेदन किए जाने पर पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ जिसमें उन परिस्थितियों का भी कथन होगा, जिसमें नियम 111 के अधीन जारी मूल प्रमाण पत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने और कही पेश न किया जा सकने की स्थिति के कथन भी अन्तर्विष्ट होंगे, पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।"

58. मूल नियम के नियम 112 में, "प्ररूप 23" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

59. मूल नियम के नियम 116 के उपनियम (2) में, " राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर " प्रकाशित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

60. मूल नियम के नियम 117 में,-

(क) उपनियम (1) में, "प्ररूप 24" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 23" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, "नियंत्रक द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "प्रकाशित करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

61. मूल नियम के नियम 118 के उपनियम (2) में, " राजपत्र में अधिसूचित" शब्दों के स्थान पर "प्रकाशित" शब्द रखा जाएगा

62. मूल नियम के नियम 120 में, "राजपत्र में और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा नियंत्रक ठीक समझे" शब्दों के स्थान पर "किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

63. मूल नियम के नियम 121 के स्थान पर निम्नलिखित नियमों का रखा जाएगा, अर्थात् :-

" **121. अवधि, जिसके भीतर विनिर्देश आदि की प्रतियां फाइल की जा सकेंगी**- अवधि जिसके भीतर विनिर्देश की प्रतियां या तत्स्थानी दस्तावेजो को धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन आवेदक द्वारा नियंत्रक द्वारा संसूचित किए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि में दाखिल किए जाएंगे ।

121क. संसूचनाओं का पता- इन अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में सभी संसूचनाएं नियंत्रक को समुचित कार्यालय पर दी जाएंगी ।"

64. मूल नियम के नियम 123 में, " राजपत्र में " शब्दों का लोप किया जाएगा ।

65. मूल नियम के नियम 124 में,-

(क) उपनियम(1) में, "राजपत्र" में शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (4) में, "वह पेटेंटों के अनुदत्त किए जाने के विरोध की सुनवाई"

शब्दों के स्थान पर "विरोध प्रक्रिया की सुनवाई" शब्द रखे जाएगे ।

66. मूल नियम के नियम 129 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :-

"**129 नियंत्रक द्वारा वैवेकिक की शक्ति का प्रयोग-** अधिनियम या इन नियमो के अधीन पेटेट के लिए किसी आवेदक या कि कार्यवाही के पक्षकार के प्रतिकूल पडने की सभावना हो, नियत्रक वैवेकिक की शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उसे या उन्हें साधारणतया ऐसी कार्यवाही की दस दिन की सूचना देने के पश्चात् सुनवाई करेगा ।"

67. मूल नियम के नियम 130 के उपनियम (1) और उपनियम (2) मे, "प्ररूप 25" शब्द और अक दोनो जगह, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर "प्ररूप 24" शब्द और अक रखे जाएगे ।

68 मूल नियम के नियम 131 में,-

(क) उपनियम (1) में, "प्ररूप 29" शब्द और अक के स्थान पर "प्ररूप 27" शब्द और अक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, "राजपत्र मे और ऐसी अन्य रीति मे जैसा वह उचित समझे" शब्दो का लोप किया जाएगा ।

69. मूल नियम के नियम 134 के उपनियम (1) के खड (च), खड (छ) और खड (ट) के स्थान पर क्रमश निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(च) कि जब पेटेंट का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो ;

(छ) कि जब पेटेंट अनुदत्त कर दिया गया हो ;

(ट) जब रजिस्टर में किसी प्रविष्टि या राजपत्र मे प्रकाशन या अन्यथा को अतवर्लित करने वाला कोई आवेदन किया गया हो या अन्यथा यदि आवेदन या कार्रवाई की प्रकृति अनुरोध मे विनिर्दिष्ट की गई हो।"

70. मूल नियम के नियम 138 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"138. **विहित समय को बढ़ाने की शक्ति-** (1) नियम 24, नियम 55 और नियम 80 (1क) मे, यथाउपबंधित के सिवाय, इन नियमो द्वारा किसी कार्य को करने या उसके अधीन कोई कार्रवाई करने के लिए विहित समय नियंत्रक द्वारा एक मास तक यदि वह ऐसा उचित समझे और उन निबंधनो पर जो निर्दिष्ट करे बढाया जा सकेगा ।

(2) इन नियमो में अवधि बढाए जाने के लिए कोई अनुरोध विहित अवधि के अवसान से पूर्व किया जाएगा ।"

71. मूल नियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचिया रखी जाएगी, अर्थात् :-

"पहली अनुसूची
(नियम 7 देखिए)
फीस

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप की संख्या	फीस की रकम (रुपए मे)	
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियो) के लिए	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियो) से भिन्न या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियो) के साथ सयुक्त रूप मे व्यक्तियो के लिए
1.	2	3	4	5
			रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/संपूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, 54 या 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेट के लिए आवेदन पर-	1	1000 प्रत्येक बहु-गुणक, पूर्विकता की दशा मे 1000 के गुणको में	4,000 प्रत्येक बहुगुणक की दशा मे 4,000 के गुणको मे
(i)	30 अतिरिक्त विनिर्देश प्रत्येक पन्ने के लिए ;		(i) 100	(i) 400
(ii)	10 अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए ;		(ii) 200	(ii) 800
2	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् संपूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हो-	2	कोइ फीस नही	कोई फीस नहीं
(i)	30 अतिरिक्त प्रत्येक पन्नों के लिए ;		(i) 100	(i) 400
(ii)	10 अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए ;		(ii) 200	(ii) 800
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करने पर	3	कोई फीस नही	कोई फीस नही
4.(i)	धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम	4	300	1200

	13(6), 80(1क) और 130 के अधीन समय के विस्तारण के अनुरोध पर		प्रति मास	प्रति मास
4.(ii)	धारा 21(1) और नियम 24ख(4)(ii) के अधीन समय के विस्तारण के अनुरोध पर	4	(क) 1000 प्रति प्रथम मास के लिए (ख) 2000 प्रति दूसरे मास के लिए (ग) 3000 प्रति मास	(क) 1000 प्रति प्रथम मास के लिए (ख) 2000 प्रति दूसरे मास के लिए (ग) 3000 प्रति तीसरे मास के लिए
5.	नियम 13(6) के अधीन आविष्कारिता की घोषणा फाइल करने पर	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर	-	500	2,000
7.	धारा 19(2) के अधीन निर्देश के हटाने के लिए आवेदन पर	-	500	2,000
8.(i)	धारा 20(1) के अधीन दावे पर	6	500	2,000
(ii)	धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निर्देश के लिए अनुरोध पर	6	500	2,000
9.	धारा 25(3) के अधीन पेटेंट के अनुदत्त करने के विरोध की सूचना पर	7	1,500	6,000
10	नियम 62(2) के अधीन यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा ।	-	1,500	6,000
11.	धारा 28(2), 28(3) या 28(7) के अधीन आवेदन पर	8	500	2,000
12	धारा 11क(2) और नियम 23ख के अधीन प्रकाशन के लिए अनुरोध	9	2500	10000
13.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर	10	1,500	6,000

14.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवेदन पर	11	1,500	6,000
15.	धारा 26(1) और धारा 52(2) के अधीन पेटेंट के अनुदत्त करने के अनुरोध पर	12	1,500	6,000
16.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट परिवर्धन को स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर	-	1,500	6,000
17.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीकरण के लिए--			
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत ;	-	500	2,000
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत ;	-	500	2,000
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत ;	-	500	2,000
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत ;	-	500	2,000
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत ;	-	1,500	6,000
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत ;	-	1,500	6,000
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत ;	-	1,500	6,000
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत ;	-	1,500	6,000
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत ;	-	3,000	12,000
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत ;	-	3,000	12,000

(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत ;	-	3,000	12,000
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत ;	-	3,000	12,000
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पंद्रहवें वर्ष की बाबत ;	-	3,000	12,000
(xiv)	पंद्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत ;	-	5,000	20,000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष की बाबत ;	-	5,000	20,000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत ;	-	5,000	20,000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत ;	-	5,000	20,000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष को समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत ।	-	5,000	20,000
18.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/संपूर्ण विनिर्देश/अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर-	13		
	(i) पेटेंट अनुदत्त करने से पूर्व ;		500	2,000
	(ii) पेटेंट अनुदत्त करने के पश्चात्		1,000	4,000
	(iii) जहां संशोधन नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवा के लिए पता बदलने के लिए है		200	800
19.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) या आवेदन के विरोध या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की सूचना पर या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर	14	1,500	6,000

20.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	15	1,500	6,000
21.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस	-	3,000	12,000
22.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की सूचना पर	-	1,000	4,000
23.	धारा 11ख(4) और नियम 26(1) के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण के लिए आवेदन	-	1,000	4,000
24	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) 90(2) के अधीन किसी पेटेंट या किसी अंश के हकदार किसी व्यक्ति या बंधकदार के रूप में या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर प्रत्येक पेटेंट के लिए	16	1,000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4,000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)
25	नियम 94(1) या नियम 118(1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवेदन पर ।	-	200	800
26	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में तामील के लिए किसी अतिरिक्त पते की प्रविष्टि करने के अनुरोध पर	-	500	2,000
27	धारा 84(1), धारा 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर	17	1,500	6,000
28	पेटेंट की परीक्षा के लिए अनुरोध पर (क)धारा 11ख और नियम 24(1) के	18	2,500	10,000

	अधीन ; (ख) नियम 20(4)(ii) के अधीन		3,500	14,000
29	धारा 85(1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर ।	19	1,500	6,000
30	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तो के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर ।	20	1,500	6,000
31	धारा 94 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोध पर ।	21	1,500	6,000
32	नियम 109 या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर ।	22	2,000	-
33	नियम109(3) के अधीन अर्हक परीक्षा में बैठने के लिए अनुरोध पर ।	-	1,000	-
34	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए ।	-	-	-
(i)	पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जाने वाली ।	-	500	-
(ii)	पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को प्रत्येक वर्ष में संदत्त की जाने वाली ।	-	500	-
35	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर।	-	1,000	-
36	नियम 117(1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर ।	23	1,000 (धन प्रविष्टि सं.36 के अधीन बने रहने की फीस)	-
37	धारा 78(2) के अधीन लेखन गलतियों	-	500	2,000

	की शुद्धि के लिए अनुरोध पर ।			
38	धारा 77(1)(च) या धारा 77(1)(छ) के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवेदन करने पर ।	24	1,000	4,000
39	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत के बाहर पेटेंट के आवेदन के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन पर ।	25	1,000	4,000
40	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन पर ।	-	1,000	4,000
41	धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियो के लिए या धारा 147 और नियम 133 के अधीन प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध पर ।	-	1,000	4,000
42	कार्यालय प्रतियो या मुद्रित प्रत्येक के प्रमाणन के लिए ।	-	500	2,000
43	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण के लिए अनुरोध पर नियम 27 या नियम 74(क) अधीन निरीक्षण पर ।	-	200	800
44	धारा 127, धारा 132, धारा 153 और नियम 135 के अधीन जानकारी के लिए अनुरोध पर ।	-	300	1,200
45	पेटेट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर ।	26	कोई फीस नही	कोई फीस नही
46	ऐसी याचिका पर जिसके लिए अन्यथा उपबन्ध नही है ।	-	1,000	4,000
47	दस्तावेजो की फोटो प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ	-	4	4
48	अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण फीस	-	2,000	8,000

49	पूर्विकता दस्तावेज की प्रमाणित प्रति तैयार करने और उसे अंतरराष्ट्रीय विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ब्यूरो को पारेषित करने के लिए ।	-	1,000	4,000
50	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन भारत में वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंटेतित आविष्कार के कार्यकरण के संबंध में कथन पर ।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं

टिप्पणः जब तक नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो सभी प्ररूप/आवेदन/अनुरोध/सूचना/याचिका दो प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची
(नियम 8 देखिए)
प्ररूप

प्ररूपों की सूची

प्ररूप संख्या	धारा और नियम	शीर्षक
1.	2.	3.
1.	धारा 7, धारा 54 या धारा 135 और नियम 20(1) ।	पेटेंट अनुदत्त करने के लिए आवेदन।
2.	धारा 10 ; नियम 13 ।	अनंतिम/संपूर्ण विनिर्देश ।
3.	धारा 8 और नियम 12 ।	कथन और बचनबंध ।
4.	धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम 13(6), नियम 24ख(4)(ii), नियम 80(1क) और नियम 130 ।	समय के विस्तारण के लिए अनुरोध।
5.	धारा 10(6) और नियम 13(6) ।	आविष्कारिता के संबंध में घोषणा ।
6.	धारा 20(1), धारा 20(4), धारा 20(5) और नियम 34(1),35(1) या नियम 36(1) ।	पेटेंट के लिए आवेदन में किसी परिवर्तन के संबंध में दावा या अनुरोध ।
7.	धारा 25(3) और नियम 55(क) ।	पेटेंट के अनुदत्त किए जाने पर विरोध की सूचना ।
8.	धारा 28(2), धारा 28(3)या धारा 28(7) और नियम 66,	किसी ऐसे पेटेंट में आविष्कारक का

	नियम 67, नियम 68 ।	उसी रूप में उल्लेख करने के संबंध में अनुरोध या दावा ।
9.	धारा 11क(2) और नियम 24क ।	प्रकाशन के लिए अनुरोध ।
10.	धारा 44 और नियम 75 ।	पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन ।
11.	धारा 51(1), धारा 51(2) और नियम 76, नियम 77 ।	नियंत्रक के निदेश के लिए आवेदन ।
12.	धारा 26(1) और धारा 52(2) और नियम 63क और नियम 79 ।	पेटेंट अनुदत्त करने के लिए अनुरोध।
13.	धारा 57 और नियम 81(1) ।	पेटेंट/संपूर्ण विनिर्देश के आवेदन में संशोधन के लिए आवेदन ।
14.	धारा 57(4),धारा 61(1),धारा 63(3),धारा 78(5) और धारा 87(2) और नियम 81(3)(ख), नियम 85(1),नियम 87(2),नियम 98(1),नियम 101(3) या नियम 124 ।	पेटेंट के संशोधन/प्रत्यावर्तन/अभ्यर्पण/ अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या उसके निबंधनों के पुनरीक्षण या लेखन गलतियों की शुद्धि के विरोध की सूचना ।
15	धारा 60 और नियम 84 ।	पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन।
16.	धारा 69(1) या धारा 69(2) और नियम 90(1) और नियम 90(2) ।	पेटेंट के नाम/हित या उसमें के अंश के रजिस्ट्रीकरण के लिए या पेटेंट की स्वत्वधारिता को प्रभावित करने के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
17.	धारा 84(1),धारा 91,धारा 92 या धारा 92क और नियम 96 ।	अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन।
18.	धारा 11ख और नियम 20(4)(ii)और नियम 24ख(1)(i) ।	पेटेंट के आवेदन की परीक्षा के लिए अनुरोध ।
19.	धारा 85(1) और नियम 96 ।	पेटेंट के कार्य न करने पर प्रतिसंहरण के लिए आवेदन ।
20.	धारा 88(4) और नियम 100 ।	अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन ।
21.	धारा 94 और धारा 102(1) ।	अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए आवेदन ।
22.	नियम 109(1) और नियम 112 ।	पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के

		लिए आवेदन ।
23.	धारा 130(2) और नियम 117 (1) ।	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन ।
24.	धारा 77(1)(च), धारा 77(1)(छ) और नियम 130(1) या नियम 130(2) ।	नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश के पुनर्विलोकन/उसे अपास्त करने के लिए आवेदन ।
25.	धारा 39 और नियम 71(1) ।	भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने के लिए अनुज्ञा के लिए अनुरोध ।
26.	धारा 127, धारा 132 और नियम 135 ।	अधिनियम के अधीन किसी विषय या कार्यवाही में किसी पेटेंट अभिकर्ता या किसी व्यक्ति के प्राधिकार का प्ररूप ।
27.	धारा 146(2) और नियम 131(1) ।	भारत में वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंट पर कार्यकरण के संबंध में कथन ।

प्ररूप 1 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 पेटेंट अनुदत्त करने के लिए आवेदन (नियम 7, नियम 54 और नियम 135 तथा नियम 20(1) देखिए)	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए) आवेदन सं0 : फाइल किए जाने की तारीख : सदत्त फीस की रकम : सीबीआर सं0 : हस्ताक्षर :

1. आवेदक (कों)

नाम	राष्ट्रीयता	पता

2. आविष्कारक (कों)

नाम	राष्ट्रीयता	पता

3. आविष्कार का नाम

4. आवेदक/भारत में प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता का पत्राचार के लिए पता ।		टेलीफोन नं0 फैक्स नं0 मोबाइल नं0 ई-मेल

5. कन्वेंशन देश में फाइल किए गए आवेदन(नों) पूर्विकता पर विशिष्टियां

देश	आवेदन सं0	फाइल किए जाने की तारीख	आवेदक का नाम	आविस्कार का नाम

6. पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) राष्ट्रीय चरण आवेदन फाइल किए जाने के लिए विशिष्टियां

अंतरराष्ट्रीय आवेदन सं0	प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा यथा आबंटित अंतरराष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख

7. प्रभागीय आवेदन फाइल किए जाने के लिए विशिष्टियां

मूल (प्रथम) आवेदन सं0 ।	मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख

8. अतिरिक्त पेटेंट फाइल किए जाने के लिए विशिष्टियां

मुख्य आवेदन/पेटेंट सं0		मुख्य आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख	

9. घोषणाएं :

(i) आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा

मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूं/हैं और घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदक (को) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि है/हैं ।

(क) तारीख.....

(ख) हस्ताक्षर.....

(ग) नाम.....

(ii) कन्वेंशन देश में आवेदक (कों) द्वारा घोषणा

मैं/हम, कन्वेंशन देश में आवेदक(कों) के रूप मे घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हैं ।

(क) तारीख.....
(ख) हस्ताक्षर.....
(ग) हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं के) नाम..... ....

(iii) आवेदक (कों) द्वारा घोषणा :

मैं/हम आवेदक (कों) तदनुसार घोषणा करता हूं/करते हैं कि :

- ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे मे हैं ।
- आविष्कार से संबंधित अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है ।
- विनिर्देश में प्रकट किए गए आविष्कार मे भारत से जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट प्रदान किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेगे ।
- मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नही है ।
- मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारों के समनुदेषिती या विधिक प्रतिनिधि हूं/हैं ।
- मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनो मे से प्रत्येक जिनकी विशिष्टियां पैरा 5 मे दी गई हैं, कन्वेंशन देश/देशों में पहला आवेदन था ।
- मैं/हम कन्वेंशन देश/देशों में फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विकता का दावा करता हूं/करते हैं और कथन करता हूं/करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेशन देश में उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूं/करते हैं, नहीं किया गया है ।
- मेरा/हमारा भारत में आवेदन पैरा 6 में यथा उल्लिखित पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है ।
- आवेदन मेरे/हमारे आवेदन विशिष्टियो में से विभाजित किया गया है जो पैरा 7 मे दिया गया है और प्रार्थना है कि आवेदन है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 16 के अधीन तारीख..... ... .को फाइल किया गया समझा जाए ।
- उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपान्तरण है जिसकी विशिष्टियां पैरा 8 मे दी गई हैं ।

10. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक है :

(क) अनन्तिम विनिर्देश/संपूर्ण विनिर्देश

(ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण (आ.प्रा.प.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां) पृष्ठों की संख्या....., दावों की सं0.....

(ग) आरेखण (अन्तरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा प्राधिकरण (अ.प.प्र.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां) पन्नों की सं0.....

(घ) पूर्विकता प्राप्ति दस्तावेज

(ङ) पूर्विकता प्राप्त दस्तावेज/विनिर्देश/अंतरराष्ट्रीय तलाश रिपोर्ट का अनुवाद

(च) प्ररूप 3 में कथन और वचनबंध

(छ) प्राधिकरण की शक्ति

(ज) प्ररूप 5 में आविष्कारिता की घोषणा

(झ) इलेक्ट्रानिक प्ररूप में सूची का अनुक्रम

फीस .....रुपए नकद/चैक/बैंक ड्राफ्ट सं0.....द्वारा तारीख.....बैंक.....

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित किए गए तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाए ।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक

पेटेंट कार्यालय

पता.....

टिप्पण - *एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं ।

*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाए ।

*पैरा 9 की घोषणा में जो लागू हो/नही लागू हो उस पर सही (√)/क्रास(X) का निशान लगाएं ।

*आविष्कारक और आवेदक का पूरा नाम, आरंभ में कुटुम्ब का नाम दें ।

*आविष्कारक और आवेदक का पूरा पता, डाक सूचना सं0/कोड, राज्य और देश का कथन करें ।

*उस/उन स्तंभ/स्तंभों को काट दें जो लागू नहीं होता है/हैं ।

*फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 2
पेटेंट अधिनियम 1970
(1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003
(अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश)
(धारा 10 और नियम 13 देखिए)

1. आविष्कार का नाम

2. आवेदक
(क) नाम :
(ख) राष्ट्रीयता :
(ग) पता :

3. वर्णन की उद्देशिका

अनन्तिम	पूर्ण
निम्नलिखित विनिर्देश आविष्कार को वर्णित करता है ।	निम्नलिखित विनिर्देश विशिष्टि रूप से आविष्कार को और उस रीति को वर्णित करता है उसमें इसका कार्यपालन होना है ।

4. वर्णन (अगले पृष्ठ से आरंभ होगा)

5. दावे (अनन्तिम विनिर्देश के लिए लागू नहीं) । दावे उद्देशिका से आरंभ करें- (पृथक पृष्ठ पर) "मैं/हम यह दावा करता हूं/करते हैं कि)-

6. तारीख और हस्ताक्षर (विनिर्देश के अंतिम पृष्ठ के अंत में किए जाएं)

7 आविष्कार का सारांश (पृथक पृष्ठ पर पूर्ण विनिर्देश के साथ दिया जाए)

टिप्पण -

*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं ।
*आवेदक (को) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।
*आवेदक का पूरा का नाम दें और आरंभ में कुटुम्ब का पूरा नाम दे ।
*आवेदक का पूर्ण पता दिया जाना चाहिए जिसमें डाक सूचना सं0/कोड, राज्य और देश का कथन करना चाहिए।
*उस/उन स्तंभ/स्तंभो को काट दें जो लागू नहीं होता है/हैं ।

प्ररूप - 3

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध

(धारा 8, नियम 12 देखिए)

1. आवेदक का नाम 2. सयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता देश का नाम आवेदन की तारीख.............	मैं/ हम [1].. .... एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं :- (i) यह कि मैं / हमने उसी आविष्कार पर उसी पेटेंट के लिए आवेदन देश से बाहर नहीं किया है, या (i) यह कि मैं / हम जिसने/ जिन्होंने/ स्वयं[2]............ एकमात्र रूप से/ ....के साथ संयुक्त रूप से यह आवेदन तारीख..................... किया है जो उसी तात्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन दूसरे देशों, में जिनके विवरण निम्नलिखित हैं, किया गया है : आवेदन सं. | आवेदन की प्रास्थिति | प्रकाशन की तारीख | प्रदान करने की तारीख
3. समनुदेशिती का नाम और पता	(iii) यह कि आवेदन (आवेदनों) पर [3]..........को अधिकार समनुदेशिक किया गया है/ हैं कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट प्रदान करने की तारीख तक, मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप में भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल

	किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर देता रहूंगा / देते रहेंगे ।
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	
	.....आज तारीख...../ 20.....
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं,	(हस्ताक्षर)[4]..... ( )[5] .....
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : जो लागू न हो उसे काट दें ।	

प्ररूप - 4

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003-

समय विस्तारण के लिए अनुरोध

[धारा 53(2) और 142(4), नियम 13(6), 24ख (4) (ii), 80 (1क) और 130 देखिए]

1. आवेदक का नाम	मैं/हम[1] मेरे/ हमारे आवेदन/ पेटेंट सं.....के संबंध में..... ....धारा / नियम के अधीन.....मास के समय-विस्तारण के लिए एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/ करते हैं । अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं :- .....आज तारीख...../ 20..... (हस्ताक्षर) [2] ..... ( )[3] .....
2 आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेटंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षिरत किया जाए	
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं,	
टिप्पण : फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए ।	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

प्ररूप - 5

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

आविष्कारिता संबंधी घोषणा

(नियम 10(6) नियम 13(6) देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम	

मैं/ हम..... घोषणा करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे तारीख..... ....के सं.....के संख्यांकित आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश मे घोषित आविष्कार के सही और प्रथम आविष्कारक हैं

2. आविष्कारक

(क) नाम

(ख) राष्ट्रीयता

(ग) पता

तारीख.....20.....

हस्ताक्षर :-

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :-

3. कनवेंशन देश के आवेदक/ आवेदकों द्वारा भारत में आवेदन करते समय की जाने वाली घोषणा :-

कनवेंशन देश मे हम आवेदक घोषणा करते हैं कि भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करने का हमारा अधिकारी सत्य और प्रथम आविष्कारक (आविष्कारकों) से समनुदेशन के द्वारा है ।

आज तारीख..... 2004

हस्ताक्षर. .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

4. कथन (अतिरिक्त आविष्कारक / आविष्कारकों द्वारा जिसका नाम आवेदन प्ररूप में उल्लिखित नहीं है, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।)

मैं/ हम उपर्युक्त घोषणा में निर्दिष्ट आविष्कार के उल्लिखित आवेदन के अनुसरण में फाइल किए गए पूर्ण विनिर्देश में सम्मिलित किए जाने की अनुमति देता हूं / देते हैं ।

अतिरिक्त आविष्कारक / आविष्कारकों के हस्ताक्षर.....

नाम.....

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

पता.....

टिप्पण :- * एक प्रविष्टि से अधिक होने की दशा में खानों का दुबारा प्रयोग करें ।

* आवेदक / आवेदकों या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा, अन्यथा जहां उल्लखित हैं, हस्ताक्षर किए जाएं ।

* आविष्कार / आविष्कारकों के पूर्ण नाम और परिवार कुटुंब नाम आरंभ में दिए जाने चाहिए ।

* अविष्कारक का पूरा पता, डाक सूचक सं./ कोड, राज्य और देश सहित दिया जाना चाहिए ।

*जो स्तंभ लागू न हो / हों, उसे काट दें ।

प्ररूप - 6

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के लिए आवेदन में किसी परिवर्तन के संबंध में दावा या अनुरोध

(धारा 20(1), धारा 20(4) और धारा 20(5), नियम 34(1), 35(1) और 36(1) देखिए)

1. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) को दुहराएं 2. पूरा नाम लिखें, यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो प्रारंभ में कुटुंब नाम या मूल नाम लिखें 3. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या / कोड और राज्य और / या देश लिखें । 4. राष्ट्रीयता लिखें । 5. पेटेंट के लिए आवेदक (आवेदकों) के नाम लिखें । 6. दावे या अनुरोध के साथ दस्तावेजों की मूल और प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएगी । मृतक संयुक्त आवेदक, विधिक प्रतिनिधि की सहमति द्वारा जब अपेक्षित हो, फाइल किया जाए । 7. दस्तावेज के ब्यौरे लिखें 8 पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलीफोन सं और फैक्स सं.	मैं/ हम[1]..... (क)[2]..... (ख)[3]..... (ग)[4]..... अनुरोध करता हूं / करते हैं कि [5].....द्वारा किए गए पेटेंट आवेदन सं.....तारीख.....पर मेरे / हमारे नाम पर कार्यवाही की जाए और आगे अनुरोध करता हूं / करते हैं कि तत्प्रभावी नियंत्रक का निदेश यदि आवश्यक हो, दिया जाए । उपर्युक्त अनुरोध करने के कारण निम्नलिखित हैं :- ..... मैं अपने उपर्युक्त अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूं :- (क)7..... (ख)7..... (ग)7..... भारत में तामील के लिए मेरा/ हमारा

9. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	पता[8].....है । आज तारीख.....19...../ 20 (हस्ताक्षर)[9]..... ( )[10]
10. उस प्रकृत्त व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

ध्यान दें : यह प्ररूप मात्र नाम परिवर्तन के लिए लागू नहीं होगा ।

टिप्पण : (क) जो लागू न हो, उसे काट दें ।

(ख) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप - 7

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के दिए जाने के विरोध की सूचना

(धारा 25(3) और नियम 55क देखिए)

1. नाम, पता व राष्ट्रीयता लिखें	मैं / हम[1] .....द्वारा पेटेंट सं.....(क्रमसं.)..... तारीख.....के लिए किए गए आवेदन
2. एक के बाद दूसरे ग्रहण किए गए आधारों को लिखें	पर.....के आधारों पर [2] .....पेटेंट के दिए जाने के विरोध की सूचना देता हूं / देते हैं ।
3. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या / कोड और राज्य सहित टेलीफोन और टेली फैक्स नं0.	भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता निम्नलिखित है :- [3].....
4. विरोधी या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	आज तारीख.....20.....
5. प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	हस्ताक्षर[4] (.....)[5]
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप -8

पेटेंट अधिनियम 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम 2003

किसी पेटेंट मे आविष्कारक के उस रूप मे उल्लेख के संबध मे अनुरोध या दावा

(धारा 28(2), धारा 28(3) और धारा 28(7) तथा नियम 66 नियम 67 और नियम 68 देखिए)

1 यह आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम पता व राष्ट्रीयता लिखे ।	मै /हम[1] यह कथन / दावा करता हू/ करते है कि द्वारा किए गए पेटेंट आवेदन
2 आविष्कारक के रूप मे उल्लिखित व्यक्ति का नाम लिखे	स तारीख दिया गया है मै आविष्कारक (आविष्कारको) के रूप मे निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियो) मुझे / हमे उल्लिखित किया जाये । या घोषणा करता हू / घोषणा करते है कि द्वारा किए गए पेटेंट स तारीख . के आवेदन मे[2] को आविष्कारक के रूप मे उल्लिखित नही करना चाहिए था और मै / हम तत्प्रभावी एक प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता हू / करते है ।
3 पूरा पता, जिसमे डाक सूचक सख्या, कोड और राज्य सहित टेलीफोन स और फैक्स स लिखे ।	उन परिस्थितियो के जिनके अधीन यह आवेदन किया जाता है उल्लेख करते हुए एक विवरण, नियमो के अधीन तथा अपेक्षित उनकी प्रति / प्रतियो के साथ सलग्न है ।
4 आवेदक या उसका प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।	भारत म तामील के लिए मेरा / हमारा पता[3]

5 प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए है ।	आज तारीख 20 (हस्ताक्षर)[4] ( )[5] सेवा मे, पेटेट नियंत्रक पेटेट कार्यालय पता

फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप - 9

पेटेंट अधिनियम 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम 2003

प्रकाशन के लिए अनुरोध

(धारा 11क(2) नियम 24(क) देखिए)

1 आवेदक (कों) के नाम, पता और राष्ट्रीयता 2 आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 3 उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए है ।	मै / हम[1] अधिनियम की धारा 11क(2) के अधीन पेटेंट स तारीख के लिए अपने / हमारे शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध करता हू / करते है । आज तारीख 20 (हस्ताक्षर)[2] ( )[3] सेवा मे पेटेंट नियत्रक, पेटेंट कार्यालय पता

फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप - 10

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के लिए संशोधन के लिए आवेदन

(धारा 44, नियम 75 देखिए)

1. एक से अधिक आवेदकों की दशा में स्तंभ (क) से (ग) को दुहराएं	मैं / हम..... (क)[2]..... (ख)[3]..... (ग)[4].....
2. पूरा नाम लिखें, यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति हो तो प्रारंभ में कुटुंब नाम या मूल नाम लिखें	(क)[2]..... (ख)[3]..... (ग)[4].....
3. पूरा पता जिसमें डाक सूचक संख्या / कोड और राज्य और / या देश भी है, लिखें	(क)[2]..... (ख)[3]..... (ग)[4].....
4. राष्ट्रीयता लिखें :-	अनुरोध करता हैं / करते हैं कि.....को दिए गए पेटेंट सं.....तारीख.....में प्राप्तकर्ता के नाम के स्थान पर मेरे / हमारे नाम को प्रतिस्थापित करके संशोधन किया जाए तथा अपने अनुरोध के समर्थन में मैं / हम निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूं / करते हैं ।
5. पूरे पते के साथ डाक सूचक संख्या / कोड और राज्य सहित टेलीफोन सं. और फैक्स नं0.	
6. आवेदक(कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	....

7. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता 5.....है । आज तारीख.....20 (हस्ताक्षर)[6]..... (.....)[7] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

टिप्पण :- फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप - 11

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

नियंत्रक के निदेश के लिए आवेदन पत्र

(धारा 51(1) और 51(2), नियम 76 और नियम 77 देखिए)

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें	मैं / हम[1].....को दिए गए पेटेंट सं.....तारीख.....की बाबत निम्नलिखित निदेश के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं ।
2. पूरा पता, जिसमें डाक सूचक संख्या कोड और राज्य सहित टेलीफोन सं. और फैक्स सं. भी हैं, लिखें ।	
3. आवेदक या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।	इस आवेदन करने के निम्नलिखित कारण हैं :- ....
4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	भारत में तामील के लिए मेरा / हमारा पता[2] :- .... है । तारीख.....20..... हस्ताक्षर [3]..... (.....)[4] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

टिप्पण :- फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 12

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

धारा 26(1) और धारा 52(2) के अधीन पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए अनुरोध

(धारा 26(1) और धारा 52(2) ; नियम 63क और 79 देखिए)

1. यदि एक से अधिक आवेदक हैं तो स्तंभ (क) से (ग) तक की पुनरावृति करें ।	मैं/हम [1] .....
	(क) [2] .....
2. पूरा नाम लिखें ।	(ख) [3] .....
यदि आवेदक एक प्रकृत व्यक्ति है तो आरंभ में कुटुंब या मुख्य नाम लिखें	(ग) [4] .....
	घोषणा करता हूं/करते हैं :
3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य और/या देश भी है, लिखें ।	(i) कि मैंने/हमने अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन नियंत्रक के समक्ष आक्षेप या धारा 64 के अधीन .....[5] उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है और पेटेंट तथा याचिका के लिए आक्षेप के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।
4. व्यक्ति की राष्ट्रीयता ।	
5. उच्च न्यायालय का नाम	पेटेंट सं. ..... तारीख ..... गारंटी अनुदत्तकर्ता/पेटेंटी ..... आक्षेप सूचना तारीख ..... या याचिका सं. ..... तारीख .....
6. सही और प्रथम आविष्कारक का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता ।	(ii) कि मैंने/हमने ..... [6] का सही और प्रथम आविष्कार (कों) समनुदेशिती(ओं)/विधिक प्रतिनिधि(ओं) उस आविष्कार का जिसके लिए उक्त पेटेंट अनुदत्त किया गया था, सही और प्रथम आविष्कार होने का दावा किया है ।
7. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का सूचक संख्या कोड तथा राज्य, टेलीफोन तथा फैक्स सं. भी है ।	
8. आवेदक(कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।	(iii) कि उक्त आक्षेप या याचिका में एक आदेश द्वारा पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था/उसके ..... दावे के अपवर्जन द्वारा पेटेंट के पूर्ण विनिर्देश संशोधित करने का निदेश दिया गया था ।
9. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	(iv) कि नियंत्रक या अपील बोर्ड या न्यायालय ने, उक्त पेटेंट/संशोधन द्वारा अपवर्जित आविष्कार के भाग के बदले में मुझे एक पेटेंट अनुदत्त करने का आदेश दिया था ।
	(v) कि मैं/हमें अपने आवेदन के समर्थन में एक कथन और नियंत्रक या अपील बोर्ड या न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें अपील बोर्ड या न्यायालय के आदेश के अनुसार पेटेंट अनुदत्त किया जाए ।

	भारत में तामील किए जाने के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत है :- [7] .... तारीख ..... (हस्ताक्षर) ..... [8] (.....)[9] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें ।

(ख) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए

प्ररूप 13

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट आवेदन/पूर्ण विनिर्देश के लिए आवेदन, संशोधन के लिए आवेदन

(धारा 57, नियम 81(1) देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम 2. आवेदक या पेटेंटी या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 3 उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं । टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।	मैं/हम [1] ..... पेटेंट के लिए आवेदन सं. ..... तारीख ..... की बाबत आवेदन/पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करने की इजाजत के लिए, जैसा कि इससे संलग्न प्रति में उल्लिखित है, अनुरोध करता हूं/करते हैं । यह अनुरोध करने के लिए मेरे/हमारे कारण निम्नवत है : .... मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि प्रश्नगत पेटेंट के अतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही किसी अपील बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है । मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है । तारीख ..... (हस्ताक्षर) [2] ..... (.....)[3] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

प्ररूप 14

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के संशोधन/प्रत्यावर्तन/अभ्यर्पण/अनिवार्य अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके निबंधनों का पुनरीक्षण या लिपिकीय भूलों के संशोधन के प्रति आक्षेप की सूचना

(धारा 57(4), 61(1), 63(3), 78(5) और 87(2) ; नियम 81(3)(ख), 85(1), 87(2), 98(1), 101(3) और 124 देखिए)

1. नाम पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक की सूचक सं./कोड तथा राज्य, टेलीफान तथा फैक्स सं. भी है 3. आक्षेपकर्ता या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम [1] ....इसके द्वारा ..... पेटेंट सं. ..... तारीख ..... के आवेदन की बाबत आवेदन/विनिर्देश का संशोधन करने, या पेटेंट सं. ..... तारीख ..... के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन करने, या पेटेंट सं. ..... तारीख ..... के अभ्यार्पण का प्रस्ताव करने, या अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने, या पेटेंट सं. ..... तारीख ..... का प्रतिसंहरण करने, या पेटेंट सं. ..... तारीख ..... की बाबत अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण करने या पेटेंट सं. ..... तारीख में/पेटेंट सं. ..... तारीख ..... की बाबत विनिर्देश सं. ..... तारीख ..... में लिपिकीय भूल का संशोधन करने का आक्षेप करने की सूचना देता हूं/देते हैं । वे आधार, जिन पर उक्त आक्षेप किया जाता है, निम्नवत है :- .... भारत में तामील किए जाने के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत है :- [2]..... ..... तारीख ..... (हस्ताक्षर) [3] ..... (.....)[4]

	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता..... .....

टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें ।
(ख) फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 15
पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003
पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन
(धारा 60 ; नियम 84 देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. आवेदक या उसके द्वारा प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाए ।	मैं/हम [1] ..... इसके द्वारा ..... को अनुदत्त पेटेंट सं. ..... तारीख ..... के प्रत्यावर्तन के लिए नियंत्रक के आदेश के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	वे परिस्थितियां, जिनके कारण ..... को या उसके पूर्व ..... वर्ष के लिए नवीकरण का संदाय करने में असफलता हुई, निम्नलिखित है :- .... मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को पेटेंट समनुदेशित नहीं किया है और यह कि इसमें कथित तथ्य और विषय मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । तारीख ..... हस्ताक्षर ..... [2] (.....)[3]
टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

प्ररूप 16

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

किसी पेटेंट या उसके अंश में हक/हित के रजिस्ट्रीकरण या पेटेंट के स्वत्वधारण पर प्रभाव डालने के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 69(1), धारा 69(2) ; नियम 90(1) और नियम 90(2) देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. दस्तावेज की प्रकृति का वर्णन जिसमें उसकी तारीख और उसके पक्षकारों के नाम, पता और राष्ट्रीयता भी दिए गए हैं । 3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य, साथ ही टेलीफोन तथा फैक्स नं0 भी है । 4. आवेदक या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए । 5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम [1] ..... इसके द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं कि मेरा/हमारे नाम उस पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट/पेटेंट में एक अंश/पेटेंट के हित के हकदार व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जा सकते हैं, जिसके ब्यौरे नीचे विनिर्दिष्ट हैं, पेटेंट सं. ..... तारीख ..... अनुदत्तकर्ता ..... पेटेंटी ..... और उसके साक्ष्यस्वरूप हम संलग्न [2] .... और उनकी एक प्रमाणित प्रति संप्रेषित करते हैं या ..... को अनुदत्त पेटेंट सं. ..... तारीख ..... की बाबत जिसका वह पेटेंटी ..... है, की अनुप्रमाणित प्रति और साथ ही सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज संप्रेक्षित करता हूं/करते हैं और मैं/हम यह आवेदन करते हैं कि उस एक अधिसूचना की प्रविष्टि पेटेंट रजिस्टर में कर ली जाए । भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत है : [3] ..... तारीख ..... हस्ताक्षर ..... [4] (.....)[5] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : (क) फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए ।

(ख) जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 17

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(धारा 84(1), 91, 92(1) या 92(क) ; नियम 96 देखिए)

1. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. दस्तावेज की दो प्रतियों में प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए 3. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक का कोड और राज्य, साथ ही टेलीफोन तथा फैक्स नं0 भी है । 4. आवेदक(कों) या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम [1] ..... को अनुदत्त पेटेंट सं. ..... तारीख ..... के अधीन, जिसके लिए ..... पेटेंटी है, निम्नलिखित आधार पर ..... अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करते हैं, अर्थात् :- **मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे** सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है । मेरे/हमारे हित और ऊपर कथित आधार के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं [2] .... (क) ..... (ख) ..... (ग) ..... भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता निम्नवत है :[3] .... तारीख ..... हस्ताक्षर .....[4] [5] (.....) सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 18 **पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)** **और** **पेटेंट नियम, 2003** **पेटेंट के लिए आवेदन का जांच करने के लिए** **अनुरोध/अभिवक्त अनुरोध** **(धारा 11(ख) और नियम 24(4)(ii),** **24(ख)(1)(i) देखिए)**	(केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए) अनुरोध सं. ..... फाइल करने की तारीख ..... संदाय की गई फीस की रकम ..... सीबीआर सं. ..... हस्ताक्षर .....

1. आवेदक/आवेदकों/अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम

(क) नाम

(ख) राष्ट्रीयता

(ग) पता

2. आवेदक/आवेदकों द्वारा परीक्षण के लिए की गई प्रार्थन की दशा में कथन

मैं/हम[1] ..... अनुरोध करता हूं/करते हैं कि आविष्कार हक के लिए ..... को फाइल किए गए पेटेंट सं. ..... के लिए किए गए पेटेंट सं. ..... के लिए किए गए मेरे/हमारे आवेदन की जांच अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन की जाएगी

या

मैं/हम अनुरोध अभिव्यक्त करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी पेटेंट के लिए आवेदन/पेटेंट सं. ..... को ..... फाइल किए गए पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) आवेदन सं. ..... तारीख ..... देश में किए गए आवेदन का अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन तत्काल नियम 20(4)(ii) में यथाविनिर्दिष्ट 31 मास की अवधि के पर्यावसान के बिना परीक्षा की जाए ।

3. किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति द्वारा परीक्षा के लिए अनुरोध के मामले में विवरण

मैं/हम हितबद्ध व्यक्ति आवेदन सं. ..... तारीख ..... द्वारा फाइल आवेदन ..... **शीर्षक** ..... अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन परीक्षा के लिए अनुरोध करता हूं/करते हैं ।

पेटेंट के लिए आवेदन के मेरे/हमारे आवेदन के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं ।

क .....

4. सेवा के लिए पता

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

पता .....

.....

टिप्पण : आवेदक(कों) या उसके/उनके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।

* उन स्तंभ/स्तभों को काट दें जो लागू नहीं है/हैं ।

* फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 19

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन

(धारा 85(1) ; नियम 96 देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. आवेदक के हित की प्रकृति और वे तथ्य, जिन पर वह विश्वास करता है तथा वे आधार जिस पर आवेदन किया गया है, लिखें 3. सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, दो प्रतियों में संलग्न की जाए 4. पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक सूचक सं./कोड भी है और साथ ही टेलीफोन तथा फैक्स नं0 भी है । 5. आवेदक(कों) या उसके/उनके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 6. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम [1] .... को अनुदत्त पेटेंट सं. ..... तारीख ..... जिसके लिए पेटेंटी/पेटेंट के लिए आवेदक ..... है, के प्रतिसंहरण के लिए निम्नलिखित कारणों से आवेदन करता हूं/करते हैं, अर्थात् :- [2] .... मेरे/हमारे हितों और ऊपर कथित कारणों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ..... [3]..... (क) ..... (ख) ..... (ग) ..... मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही हैं । भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता :- [4] .... है । तारीख .... हस्ताक्षर ..... [5] (.....) [6] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

(ख) जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 20

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन

(धारा 88(4) ; नियम 100 देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. आवेदक(कों) या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए । 3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम [1] .... घोषणा करता हूं/करते हैं : (i) पेटेंट सं. ..... तारीख ..... को अनुदत्त किया गया था जिसके लिए पेटेंटी ..... हम लोग है/हैं । (ii) अनुदत्त पेटेंट के अधीन, नियंत्रक के तारीख ..... के आदेश द्वारा मैं/हम अनुज्ञप्ति धारक हूं/हैं । (iii) नियंत्रक द्वारा परिनिर्धारित निबंधन और शर्तें मूलतः अनुमानित अपेक्षा से अधिक दुर्भर साबित हुई है तथा हम आविष्कार पर कार्य करने में असमर्थ है । (iv) वे परिस्थितियां, जिनमें यह आवेदन किया गया है संलग्न विवरण दो प्रतियों में, उपवर्णित हैं । मैं/हम अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों को पुनरीक्षित करने के लिए नियंत्रक से अनुरोध करता हूं/करते हैं । तारीख .... हस्ताक्षर ..... [2] (.....) [3] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

(ख) जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 21

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

अनिवार्य अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के लिए अनुरोध

(धारा 94 ; नियम 102(1) देखिए)

1. आवेदक(कों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें 2. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, दो प्रतियां संलग्न की जाए 3 पूरा पता, जिसके अंतर्गत डाक कोड और साथ ही टेलीफोन तथा फैक्स नं0 भी हो, बताएं । 4. आवेदक(को) या उसके प्राधिकृत, रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । 5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	मैं/हम [1] ..... श्री ..... को अनुदत्त पेटेंट सं. ..... तारीख ..... के अधीन नियंत्रक के तारीख .... के आदेश द्वारा ..... को अनुदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति के पर्यवसान के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसके लिए पेटेंट ..... है । मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम ऊपर उल्लिखित पेटेंट के लिए पेटेंटी हूं/हैं । मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम पेटेंट के हक/हित प्राप्त करता हूं/करते हैं । मैं/हम निम्नलिखित आधारों पर पर्यवसान के लिए ऊपर उल्लिखित अनुरोध करता हूं/करते हैं, अर्थात् .... मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और विषय मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है । मेरे/हमारे हित में दस्तावेजी साक्ष्य के ब्यौरे और ऊपर उल्लिखित आधार नीचे दिए गए हैं : [2] (क) .... (ख) ..... (ग) .... भारत में तामील के लिए मेरा/हमारा पता :- [3] .... है । तारीख .... हस्ताक्षर ..... [4] (.....) [5] सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।

(ख) जो लागू न हो उसे काट दे ।

प्ररूप 22
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003
पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(धारा 109(1) और 112 देखिए)

1 आवेदक के चरित्र को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो उनसे सबंधित न हो और किसी राजपत्रित अधिकारी या अन्य व्यक्ति का जिसे नियत्रक ठीक समझे होना चाहिए ।	मै पेटेंट अधिनियम 1970 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप मे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हू । से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र सलग्न है ।
2 प्रारभ मे कुटुब या मुख्य नाम	मै घोषणा करता हू कि मै पेटेंट नियम 2003 के नियम 114 मे विनिर्दिष्ट किसी भी निरर्हता के अध्यधीन नही हू और नीचे दी गई सूचनाए मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।
3 या तो मूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज या राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे नियत्रक ठीक समझे सम्यक रूप से साक्ष्याकित उनकी प्रतिया आवेदन के साथ अवश्य भेजी जाए ।	नाम पता निवास स्थान व्यवसाय का मुख्य स्थान शाखा कार्यालय, यदि कोई है का पता
4 आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।	
5 उस प्रकृत व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए है ।	पिता का नाम राष्ट्रीयता जन्म की तारीख और स्थान उपजीविका पेटेंट अभिकर्ता के रूप मे रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता की विशिष्टिया [3] (क) (ख) (ग) तारीख हस्ताक्षर [4] ( )[5] सेवा मे, पेटेंट नियत्रक पेटेंट कार्यालय, पता

टिप्पण : (क) फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए ।
(ख) दो नवीन पासपोर्ट साइज के फोटो सलग्न करे ।
(ग) अलग पन्ने पर नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध करे ।

प्ररूप 23

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन

(धारा 130(2) ; नियम 117(1) देखिए)

मैं, ... अपने नाम को, जो धारा 130 या नियम 116 के अधीन तारीख ..... को हटा दिया गया था, पेटेंट अभिकर्त्ता रजिस्टर में प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन करता हूं । मेरा नाम मूलतः तारीख ..... को सं. ..... के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया था ।

तारीख .....

हस्ताक्षर[1] .....

(.....)[2]

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

पता .....

.....

1. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।

2. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।

टिप्पण : फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 24

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश के पुनर्विलोकन/अपास्त करने के लिए आवेदन

(धारा 77(1)(ब) और 77(1)(छ) और नियम 130(1) और नियम 130(2) देखिए)

1. पेटेंट संख्या या पेटेंट आवेदन संख्या तथा सुसंगत कार्यवाही का उल्लेख करें ।	.... [1] के मामले में,
2. आवेदक(आवेदकों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें	मैं/हम [2] ...., जो उपर्युक्त मामले में आवेदक /विरोधी/ पक्षकार हूं/हैं, तारीख ..... के नियंत्रक के विनिश्चय/आदेश का पुनर्विलोकन/अपास्त करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।
	आवेदन करने के आधार संलग्न विवरण में, दो प्रतियों में उपवर्णित हैं ।
3. आवेदक(आवेदकों) या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।	तारीख ..... हस्ताक्षर[3] .....
4. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं ।	(.....)[4]
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता ....

टिप्पण : फीस के लिए : पहली अनुसूची देखिए ।

प्ररूप 25

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

कोई फीस नहीं **भारत से बाहर पेटेंट आवेदन करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध**

(धारा 39 और नियम 71(1) देखिए)

1. आविष्कार के नाम का कथन करें ।

मेरे/हमारे कब्जे के अधीन .....

.....

का [1] एक आविष्कार है

मैंने/हमने उक्त आविष्कार के लिए पेटेंट प्रदान किए जाने के लिए एक आवेदन किया है, जिसका संख्यांक ....., तारीख .... है ।

या

2. व्यक्ति(व्यक्तियों) का नाम और पता ।

मैं/हम आविष्कार का संक्षिप्त विवरण संलग्न करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम अकेले/.. .....

.... [2] के साथ सयुक्त रूप से निम्नलिखित देश/देशों/कन्वेंशन देशों, अर्थात् : ....

..... में उस आविष्कार के लिए/सारतः समान आविष्कार के पेटेंट के लिए आवेदन करने का आशय रखता हूं/रखते हैं । मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन (आवेदनों) में अधिकार

3. समुदेशिती का नाम और पता ।

[3] .....

.....को समनुदेशित किए गए हैं ।

मैं/हम यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उक्त देश/देशों में उक्त आविष्कार के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाए । इस आवेदन को करने के कारण निम्नलिखित हैं :-

ऊपर कथित तथ्य और विषय मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

तारीख .....

4. आवेदक(आवेदकों) या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए । हस्ताक्षर[4] .....

सेवा में,
पेटेंट नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय,
पता .....
.....

टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें ।

प्ररूप 26
पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003
अधिनियम के अधीन किसी मामले या कार्यवाही में पेटेंट अभिकर्ता/या किसी व्यक्ति के प्राधिकार का प्ररुप
(धारा 127 और 132 ; और नियम 135 देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें ।

2. प्राधिकृत किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता लिखें ।

3. उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही का उल्लेख करें, जिसके लिए प्राधिकार दिया गया है ।

4. इसे प्राधिकार को करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।

5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं, और पदनाम तथा सरकारी मुद्रा, यदि कोई हो ।

मैं/हम[1] .....
.....[2]... को मेरी/हमारी ओर से ..... [3] के संबंध में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उससे संबंधित सभी सूचनाएं/अध्यपेक्षाएं और पत्र ऐसे व्यक्ति के पास और उक्त पते पर तब तक भेजे जा सकते हैं जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

मैं/हम उसी मामले या कार्यवाही के संबंध में, सभी पूर्ववर्ती प्राधिकारों को, यदि कोई दिए गए हैं, प्रतिसंहृत करता हूं/करते हैं ।

तारीख .....
हस्ताक्षर[4] .....

(.....)[5]

सेवा में,
पेटेंट नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय,
पता.....
....

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन स्टांपित किया जाए ।

प्ररूप 27

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

कोई फीस नहीं **पेटेंट की गई आविष्कार के भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यकरण के संबंध में विवरण**

(धारा 146(2) और नियम 131(1) देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें ।

तारीख ..... के पेटेंट सं. ..... के मामले में

मैं/हम [1] .....

.....

2. वह वर्ष जिससे यह विवरण संबंधित है ।

पेटेंट सं. ..... के अधीन पेटेंटी या अनुज्ञप्तिधारी, ऊपर निर्दिष्ट पेटेंट किए गए आविष्कार के वर्ष [2] ..... के दौरान भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं ।

3. जो भी ब्यौरे उपलब्ध हैं, उनका उल्लेख करें ।

(i) पेटेंट किए गए आविष्कार :

{ } सफल हुआ { } सफल नहीं हो पाया [सुसंगत स्थान पर (✓) चिन्ह लगाएं]

(क) यदि सफल नहीं हुआ : सफल न होने के कारण और आविष्कार को सफल बनाने के लिए किए जाने वाले उपाय

(ख) यदि सफल हुआ : (i) भारत में विनिर्मित

(ii) अन्य देशों से आयातित

(देशवार ब्यौरे दें)

पेटेंट किए गए उत्पाद की मात्रा और मूल्य (रुपए में) बताएं

(ii) वर्ष के दौरान प्रदान की गई अनुज्ञप्तियां और उपअनुज्ञप्तियां

(iii) कथन करें कि क्या जनता की मांग को सुसंगत कीमत पर भागतः/पर्याप्त रूप से/पूर्ण रूप से पूरा किया गया है ।

ऊपर कथित तथ्य और विषय मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।

तारीख .....

4. कथन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।

हस्ताक्षर[4] .....

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय,

.....

.....

टिप्पण : (क) जो लागू न हो उसे काट दें ।".

72.मूल नियमों की चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"चौथी अनुसूची

[नियम 136(1) का परंतुक देखिए]

		निम्नलिखित के लिए फीस की राशि (रुपए में)	
प्रविष्टि सं.	वह मामला जिसके संबंध में लागत दी जानी है	प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियो) के लिए	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न के लिए चाहे अकेले हो या अन्य प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियो) के साथ संयुक्त रूप मे हो
1	2	3	4
1.	धारा 25, धारा 57, धारा 60, धारा 63,धारा 78,धारा 87(2), या धारा 88(4) के अधीन विरोध की सूचना के लिए ;	1,500	6,000
2.	धारा 84(1), 91(1) या 92(1) के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के आवेदन के लिए ;	1,500	6,000
3.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तो के पुनरीक्षण आवेदन के लिए ;	1,500	6,000
4.	नियम 62(2) के अधीन सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के आशय की सूचना के लिए	1,500	6,000
5.	जहां किसी पेटेंट अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वहां मुख्तारनामें के लिए स्टांप फीस या सुसंगत शपथ पत्रों के संबंध में स्टांप फीस ;	वास्तविक रूप से संदत रकम	वास्तविक रूप से संदत रकम
6.	नियम 57 के अधीन लिखित कथन या नियम 58 के अधीन उत्तर कथन या प्रत्येक शपथ पत्र, यदि सुसंगत हो, के लिए ;	2,500	2,500
7.	कार्यवाही में प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज या प्रकाशन के लिए, यदि सुसंगत हो ;	1,000	1,000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धरण के लिए	1,000	1,000
9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिन या भागतः दिन के किसी भाग की सुनवाई के लिए	2,500	2,500 ।" ।

[सं. 14/3/2004-पी. पी. एंड सी.]

ऑन्टोनी डिसा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र मे अधिसूचना सं. का.आ. 493(अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।